न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान) ~~कैम्प कोर्ट–भीटवाड़ा~~
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 83 /2021 GCMS No 2021/
दायरा तिथि : 22.09.2021
फैसला तिथि : 14.12.2021

प्रार्थी ::–
विरदानसिंह पुत्र भूरसिंहजी जाति राजपुरोहित
निवासी मोनावतो का बास–खेतेश्वर नगर मादा तहसील देसूरी जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक 14.12.2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही पुश्तैनी भूमि ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 845 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा नंबर 847 रकबा 4.48 हैक्टर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम में बतौर सह खातेदार दर्ज अपने नाम **शिवदानसिंह पुत्र भूरा को त्रुटिपुर्ण** बताते हुये अपना **सही वास्तविक नाम विरदान पुत्र भुरसिंह** दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रति, नकल पर्चा लगान सवंत् 2037 से 2056, नकल जमाबंदी सवंत् 2030 से 2033, नकल मिलान क्षैत्रफल, नकल जमाबंदी संवत् 2037 से 2056, नकल आधार कार्ड विरदानसिंह, नकल पैन कार्ड विदानसिंह,नकल पहचान पत्र विरदानसिंह, नकल बैंक पासबुक यूको बैंक की प्रतियॉ पेश की गई। इसके साथ ही वर्णित तथ्यो की पुष्टि में शपथ पत्र भी पेश किया गया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थना पत्र का जबाव मय पटवारी हल्का मुण्डारा की रिपोर्ट के साथ भूमिधारी तहसीलदार, बाली की ओर पेश किया। अपने जबाव में अप्रार्थी तहसीलदार, बाली द्वारा भू0प्रबन्ध कार्यवाही के समय बंदोवस्त अवधि 2037 से 2056 में प्रार्थी के पिता की उक्त खातेदारी भूमि में विरासत का नामान्तरकरण खोला गया, जिसमें प्रार्थी के पिता के वारिशान में विरदानसिंह, थानसिंह, छतरसिंह पि0 भूरा 1/6 हिस्सा में सही तौर पर दर्ज किया गया। परन्तु पर्चा लगान के अनुसार मिसल बंदोवस्त में इन्द्राज नहीं करते हुये त्रुटिपुर्ण तौर पर शिवदानसिंह, कानसिंह, छत्तरसिंह पि0 भूरा 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया गया, जो त्रुटिपुर्ण इन्द्राज उतरोत्तर बनी जमाबंदियो में बदस्तुर कायम रहा। प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थी का नाम विरदान सिंह पुत्र भूरसिंह ही होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम शिवदान पुत्र भूरा के स्थान पर सही व वास्तविक नाम विरदान पुत्र भूरसिंह कौम पुरोहित सा. मादा तहसील देसूरी हिस्सा अनुसार दुरस्त कना उचित बताया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट का अवलोकन किया। भूमिधारी के जवाब एवं पटवारी हल्का मुण्डारा की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम बदोवस्त कार्यवाही के समय पर्चा लगान से मिसल बन्दोवस्त में इन्द्राज के दौरान् त्रुटिपुर्ण दर्ज हुआ है, जो अब तक राजस्व रेकर्ड में त्रुटिपुर्ण दर्ज चला आ रहा है, जबकि प्रार्थी के पास धारित दस्तावेजो में **सही नाम विरदानसिंह पुत्र भूरसिंह कौम पुरोहित** दर्ज है। जिससे वादग्रस्त भूमि ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 845 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा नंबर 847 रकबा 4.48 हैक्टर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम में भी बतौर सह खातेदार दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम शिवदान पुत्र भूरा के बजाय **सही नाम विरदानसिंह पुत्र भूरसिंह कौम पुरोहित** दुरस्त किया जाना विधि अनुसार न्याय संगत हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रर्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 845 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा नंबर 847 रकबा 4.48 हैक्टर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम में बतौर सह खातेदार दर्ज प्रार्थी का नाम **शिवदानसिंह पुत्र भूरा त्रुटिपुर्ण** होने से **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम विरदानसिंह पुत्र भूरसिंह कौम पुरोहित शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, मुण्डारा को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0–अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 14.12.2021 को मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

Scanned with CamScanner